न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ. प्रार्थना पत्र सं. 50/2021
रेडियन्ट इन्टरप्राईजेज v/s राज. सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.10.21	वकुलाय उप0। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21.10.21 को पेश हो। (initials)	
21.10.21	वकुलाय उप0। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25.10.21 को पेश हो। (initials)	
25.10.21	प्रार्थी की ओर से वकील मो0 शाहिद उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार रोयल उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–14 जीजे–7178 का रजिस्टर्ड मालिक रेडियन्ट इन्टरप्राईजेज है, जिसके तीन पार्टनर पूनम बेनीवाल, हरदयालसिंह व प्रार्थी अनित पुनिया है। प्रार्थी उक्त वाहन सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी व अधिकृत व्यक्ति है, अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। उक्त वाहन मय असल दस्तावेज के एफ.आई.आर.नं. 125/2021 थाना डीडवाना प्रकरण में पुलिस थाना डीडवाना द्वारा अपनी तहवील में ले रखा है। पूर्व में माननीय न्यायालय ने प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया, अब प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, इस कारण बदली हुई परिस्थितियों में पुनः यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पुलिस को प्रकरण हाजा में वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में रख रखाव के अभाव में पड़ी पड़ी खराब होने की पूरी संभावना है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने पर लाकर पेश कर देगा, खुर्द बुर्द गिरवी बेचान आदि नहीं करेगा, का कथन करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–14 जीजे–7178 मय असल दस्तावेज प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–14 जीजे–7178 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा आरजे–14 जीजे–7178 गाड़ी की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है, वाहन सुपुर्द किया जाये तो कोई आपति नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 21,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये इक्कीस लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी [illegible] की राशि का [illegible]नामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना [illegible] समक्ष प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दि[illegible] द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना [illegible]वाना को पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/2021 में [illegible] ट्रक नम्बर आरजे–14 जीजे–7178 प्रार्थी [illegible] इन्टरप्राईजेज [illegible] मुख्त्यार अनित पुनिया पुत्र मनीराम पुनिया जाति जाट आयु 35 वर्ष निवासी ई. 22 पवनसुध अपार्टमेंट हनुमान नगर ई वैशाली नगर जयपुर राज0 को उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।– 1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:31 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रार्थना पत्र सं. 50/2021
रेडियन्ट इन्टरप्राईजेज v/s राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25-10-21 लगातार	2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा। 3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी डीडवाना द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना डीडवाना की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर,नागौर Signature Not Verified Digitally signed by Jitendra Kumar Soni Date: 2021.11.26 18:42:31 IST Reason: SelfAttested	